न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
मुकदमा संख्या :– 53 / 2024
जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025 / 135

प्रार्थी

दरगाराम पुत्र पांचाराम, जाति–कलबी, निवासी–भादरणा, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर

अप्रार्थीगण

पांचाराम पुत्र हरनाथ वगैरह

(मुहर: सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर, जिला जालोर, सत्यमेव जयते)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 31.07.2024

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 25.02.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा भादरणा, पटवार हल्का–चौरा के खेत खसरा नंबर 1568 रकबा 3.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1573 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1574 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1575 रकबा 3.96 हैक्टेयर जुमले रकबा 7.68 हैक्टेयर के आये हुए है जिसके जमाबंदी 2077 से 2079 के खाता नंबर 180 है तथा मौजा भादरणा पटवार हल्का चौरा के खेत खसरा नंबर 674 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 675 रकबा 0.92 हैक्टेयर, खसरा नंबर 678 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 679 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 680 रकबा 5.50 हैक्टेयर, खसरा नंबर 681 रकबा 4.40 हैक्टेयर, खसरा नंबर 682 रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल रकबा 11.00 हैक्टेयर जिसके जमाबंदी 2077 से 2079 के खाता नंबर 181 है, उपरोक्त आराजी में प्रार्थी का पैतृक हक निहित है। नकल जमाबंदी खाता नंबर 180, 181 प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। इस आराजी को प्रार्थना पत्र में आगे अवतरणों में वादग्रस्त आराजी कहा जायेगा। अप्रार्थी संख्या 1 अभी अप्रार्थी संख्या 2 के प्रभाव में है तथा अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 को अपने प्रभाव में लेकर अपने पैतृक हकों की भूमि से ज्यादा भूमि अपने नाम करने या आगे भूमि हस्तांतरित कर देने की प्रार्थी को हमेशा धमकियां दे रहा है जिसको रोका जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना–पत्र श्रीमान की सेवा में पेश है। अतः प्रार्थना–पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावें कि सरहद मौजा भादरणा, पटवार हल्का–चौरा के खेत खसरा नंबर 1568 रकबा 3.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1573 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1574 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1575 रकबा 3.96 हैक्टेयर जुमले रकबा 7.68 हैक्टेयर तथा मौजा भादरणा पटवार हल्का चौरा के खेत खसरा नंबर 674

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 675 रकबा 0.92 हैक्टेयर, खसरा नंबर 678 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 679 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 680 रकबा 5.50 हैक्टेयर, खसरा नंबर 681 रकबा 4.40 हैक्टेयर, खसरा नंबर 682 रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल रकबा 11.00 हैक्टेयर में स्थित 249/550 हिस्से की भूमि में वादी के कब्जा काश्त में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं करे तथा न ही उक्त आराजी का बैचान, रहन, या अन्य प्रकार से हस्तांतरण वगैरह करें तथा वाद के अंतिम निस्तारण तक राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा भादरूणा के खेत खाता संख्या 180 के खसरा संख्या 1568 रकबा 3.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1573 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1574 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1575 रकबा 3.96 हैक्टेयर जुमले रकबा 7.68 हैक्टेयर खाता संख्या 181 के खसरा नंबर 674 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 675 रकबा 0.92 हैक्टेयर, खसरा नंबर 678 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 679 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 680 रकबा 5.50 हैक्टेयर, खसरा नंबर 681 रकबा 4.40 हैक्टेयर, खसरा नंबर 682 रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल रकबा 11.00 भूमि पर अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 व 10 राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनायें रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस.**)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

सहायक कलक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **25.02.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)